राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 954/2012/उदयपुर.
2. अपील संख्या – 955/2012/उदयपुर.
3. अपील संख्या – 956/2012/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मुरलीवाला एग्रोटेक प्रा० लिमिटेड, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर. के. खदाव, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30/08/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें, उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या क्रमशः 118/सीएसटी, 20/वैट एवं 21/सीएसटी/11–12 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 11.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 24, 56, 58, 61 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत पारित किये आदेश दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। उक्त तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

3. राजस्व की ओर से प्रस्तुत उक्त अपीलों में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के बिक्रीत माल EFBF को ''सत्तू'' मानते हुए उस पर 4 प्रतिशत से कर अदा किया जाना अनुचित माना क्योंकि बिक्रीत माल एक पूरक पोषाहार था जो सामान्य कर दर 12.5 प्रतिशत से कर योग्य था। इस तरह कम कर दर से कर संग्रहण को अविधिक मानकर अन्तर कर एवं इसे करापवंचन का कृत्य मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था

लगातार.....2

जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा EFBF को 12.5 प्रतिशत की कर दर मानना विधिसम्मत घोषित किया गया, परन्तु माल के वर्गीकरण एवं कर दर पर मत भिन्नता होने से इस पर करापवंचन के अपराध में आरोपित शास्ति अविधिक मानते हुए अपास्त की गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी ने युक्तियुक्त कारणों से मत भिन्नता होने से माल को ''सत्तु'' की श्रेणी में माना, परन्तु कोई संव्यवहार लेखा—पुस्तकों एवं विवरण—पत्रों से छुपाया नहीं गया था, बल्कि उन्हें बहियात में घोषित किया हुआ था। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर दर सम्बन्धी विवाद को करापवंचन का अपराध नहीं मानने के निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार योग्य नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने बहियात की घोषित बिक्री पर विधिक व्याख्या के साथ अन्तर कर आरोपित किया है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01** एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **परफैटी वानमेले के प्रकरण संख्या 473/2011 निर्णय दिनांक 17.02.2017** में अभिनिर्धारित न्यायिक विधि में ऐसे मामलों में करापवंचन का अपराध नहीं माना गया है एवं कर बोर्ड द्वारा भी निरन्तर रूप से इस विधि का अनुकरण करते हुए शास्ति आरोपण को विधिक नहीं माना है, फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी ने उक्त प्रकरण में आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है अतः अपील निर्णय की पुष्टि की जाकर राजस्व की तीनों अपीलें खारिज की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

20/08/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य